सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 25.07.2024

जिला सहकारी बैंक में 25 करोड़ रूपयों की धोखाधड़ी करने वाले 01 मुख्य अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एवं थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

जिला सहकारी बैंक के उपमहाप्रबंधक उमेश कुमार एवं वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक जिला सहकारी बैंक इटावा राजीव त्रिपाठी की लिखित तहरीर के आधार पर 10 नामजद व्यक्तियों द्वारा 24 करोड़ 90 लाख रूपये के गबन/अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में **थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 202/2024 धारा 420/467/468/471/409 भादवि पंजीकृत किया गया।**

नोटः- उक्त अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को दिनांक 18.07.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी/बरामदगी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वाँछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 24/25.07.2024 की रात्रि को मु0अ0सं0 202/2024 से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त अखिलेश चतुर्वेदी राज पैलेस होटल भरतपुर राजस्थान में रूका हुआ है, सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा **उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त अखिलेश चतुर्वेदी को राज पैलेस होटल भरतपुर राजस्थान से समय 02.30 बजे गिरफ्तार** किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अखिलेश चतुर्वेदी पुत्र शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी निवासी चम्पाबाग करमगंज थाना कोतवाली इटावा **उम्र 44 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 202/2024 धारा 420/467/468/471/409 भादवि थाना कोतवाली जनपद इटावा।

पुलिस टीमः- निरीक्षक श्री विक्रम सिंह चौहान प्रभारी थाना कोतवाली, निरी0 अपराध श्री भोला प्रसाद रस्तोगी, हे0का0 दीपचन्द्र, हे0का0 धीरेन्द्र।